



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शनिवार, 20 सितम्बर, 2025

भाद्रपद 29, 1947 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

राज्य कर अनुभाग-2

संख्या 1710/ग्यारह-2-25-9(47)-17-टी0सी0-295-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(358)-2025

लखनऊ, 20 सितम्बर, 2025

अधिसूचना

प0आ0-161

उत्तर प्रदेश माल और सेवाकर (संशोधन) अध्यादेश, 2025 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 7 सन् 2025) की धारा 1 की उपधारा (2) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, एतद्वारा तारीख 1 अक्टूबर, 2025 को ऐसी तारीख के रूप में नियत करते हैं, जिसको उक्त अध्यादेश की धारा 2 के खंड (ii) और (iii) से धारा 5 तक तथा धारा 7 से धारा 14 तक के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

आज्ञा से,

एम0 देवराज,

प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no. 1710 / XI-2-25-9(47)-17-T.C.-295-U.P.Act-1-2017-Order-(358)-2025, dated September 20, 2025 :

No.1710 / XI-2-25-9(47)-17-T.C.-295-U.P.Act-1-2017-Order-(358)-2025

Dated Lucknow, September 20, 2025

IN exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of Section 1 of the Uttar Pradesh Goods and Services Tax (Amendment) Ordinance, 2025 (UP Ordinance No. 7 of 2025), the Governor hereby appoints the 1st day of October 2025, as the date on which the provisions of clauses (ii) and (iii) of Sections 2 to 5 and Sections 7 to 14 of the said Ordinance, shall come into force.

By order,
M. DEVARAJ,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 189 राजपत्र-2025-(575)-599 प्रतियां (डी०टी०पी०/ऑफसेट)।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 11 सा० राज्य कर-2025-(576)-500+500=1000 प्रतियां (डी०टी०पी०/ऑफसेट)।